

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

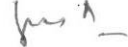
क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / लिंक नंबर -11802/2013/3920 दिनांक :- 22-07-2019

कार्यालय आदेश

श्रीमति गिरिशा अरोडा कनि० लेखाकार लिंक नंबर -11802/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक- 06.03.2019 से 14.03.2019 तक (कुल 09 दिवस)

उक्त कुल 09 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमति गिरिशा अरोडा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / लिंक नंबर-11802/2013/3920 दिनांक :- 22-07-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमति गिरिशा अरोडा कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी(शहर), जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)